## न्यायालय: —सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद,जिला भिण्ड

(समक्षः पी०सी०आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांकः 32 / 2014 संस्थित दिनांक— फाइलिंग नंबर—230303000142012

- 1— दशरथ सिंह, पुत्र नवाब सिंह गुर्जर उम्र–27 साल
- 2— भूरीबाई पत्नी दशरथ सिंह गुर्जर, उम्र—24 साल
- 3— अमन पुत्र दशरथ सिंह, आयु—05 साल, नाबालिग व सरपरस्त पिता दशरथ सिंह गुर्जर निवासीगण—ग्राम पाली थाना पावई परगना अटेर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ।

\_\_\_<u>आवेदकगण</u>

## वि क् द्ध

- 1— संतोष कुमार, पुत्र लोटन सिंह, 28 साल निवासी वार्ड नंबर 8 गोहद .....मालिक एवं चालक
- 2— द न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मण्डल कार्यालय क.—2 ग्वालियर, मोतीमहल रोड गुरूद्वारा के पीछे ग्वालियर.....बीमा कंपनी —————अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता । अनावेदक क्रमांक—01 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता । अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा श्री आर.के. वाजपेयी अधिवक्ता ।

## -::- <u>अधि-निर्णय</u> -::-

(आज दिनांक 28 अक्टूबर 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक क्रमांक— 1 और 2 को 25—25 हजार रूपये एवं आवेदक क्रमांक—3 को 3,30,000/— रूपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय 12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्चे के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्रमांक—01 बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उसका वाहन इंडिगो कार अनावेदक क्रमांक—2 के यहां बीमित है ।

- आवेदकगण का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-25 / 5 / 2012 को वह अपने गांव ग्राम पाली से अपनी मोटर साइकिल कुमांक-एम.पी.-30 एम.बी.-4781 से ग्राम दिलीप सिंह का पुरा डांग परगना गोहद अपनी रिश्तेदारी में गमी हो जाने से शोक संवेदना करने (फेरा करने) के लिए जा रही थी, दिन के करीब 12:10 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बंजारे का पुरा थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रांतर्गत लोक मार्ग पर जाते समय गोहद चौराहो की तरफ से अनावेदक क्रमांक—1 अपनी लाल रंग की बिना नंबर की इंडिगो कार को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वे गिर गये, जिसके फलस्वरूप दशरथ सिंह को दांये कंधे, बांये पैर व शरीर में अन्य जगह, भूरीबाई को बांये पैर के घुटने, दांयी आंख के पास कनपटी पर और दाहिने कंधे पर चोट आयी और उनका पांच वर्षीय अव्यस्क पुत्र अमन के बांये कंधे, बांये गाल, दांयी आंख के पास, बांये पैर के घुटने पर गंभीर चोट आयी और शरीर में अन्य जगहें भी चोटें लगी । तथा बांये पैर की घुटने से जांघ के बीच की हडडी टूटकर अलग हो गयी । जिसे गोहद अस्पताल में तत्काल पहुंचाया गया और वहां दुर्घटना की देहाती नालिसी रिपोर्ट दशरथ सिंह ने दर्ज करायी. जिसपर से अपराध कमांक-92 / 2011 धारा-279, 337 भा0दं०ंसं० का पंजीबद्ध किया गया । गंभीर चोट के आधार पर धारा-338 भा0दं०ंसं० का मामला दर्ज किया गया और दुर्घटनाकारी कार अनावेदक क.-1 के द्वारा सुपुर्दगी पर न्यायालय से प्राप्त की, अमन 15 दिन भर्ती भी रहा और उसका गोहद व ग्वालियर में इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर आदि में करीब एक लाखा रूपये खर्च हुए और बीस हजार रूपये देखरेख, खानपान में तथा दस हजार रूपये आवागमन में खर्च हुए तथा उसके पुत्र के पैर में अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख रूपये खर्चे के अलावा एवं दशरथ और भूरीबाई की चोटों के संबंध में 25–25 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति चाही गयी है, क्योंकि पुत्र के भविष्य में बडे होने पर शासकीय सेवा में पैर की कमी के कारण नुकसान होगा ।
- अनावेदक क.–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए लेख किया है कि उसके द्वारा कोई दुर्घटना नहीं की गयी है और आवेदकगण के द्वारा दी गयी जानकारी के बारे में उसे कोई पता नहीं है । वास्तविकता में उसकी इंडिको कार से भिण्ड ग्वालियर रोड बंजारे के पूरा के पास मेहगांव की तरफ से अरविंद सिंह भदौरिया निवासी ग्राम बरहा तहसील मेहगांव का टैक्टर रजिस्ट्रेशन क्रमांक— यू.पी.—75 / 5745 को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी कार में टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार क्षतिग्रस्थ हो गयी थी और उसे चोटें भी आयी थी, उसका चाचा भीखाराम भी साथ में था। उसने घटना की गोहद चौराहा थाने पर रिपोर्ट की थी, जिसपर से अपराध कमांक-93 / 2012 धारा-279, 337 अरविंद सिंह के विरूद्ध कायम किया गया था और चालान भी न्यायालय में पेश किया है, जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-335 / 2012 संचालित है । आवेदकगण मोटर साइकिल पर बैठकर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आये थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आयी, उसकी कार से कोई दुर्घटना नहीं हुई और असत्य आधारों पर झूंठा क्लेम पाने के लिए आवेदनपत्र किया है, जो झूंठी रिपोर्ट पर आधारित है तथा उसकी कार अनावेदक क.—2

के यहां वैध रूप से बीमित है और आवेदकगण उससे कोई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है । फलतः आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किया जावे ।

अनावेदक क.-2 बीमा कंपनी की ओर से प्रथक से जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए मूलतः लेख किया है कि अनावेदक कृ.-1 की कार से कोई दुर्घटना नहीं हुई । न ही उसके चालक की कोई तेजी एवं लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना घटी और आवेदकगण को कोई चोट, फैक्चर या स्थाई अपंगता नहीं आयी है तथा उनके यहां वाहन क्रमांक-एम.पी. -30 सी.-1363 प्राइवेट कार के रूप में बीमित है और वह पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत ही आबद्ध है, अन्यथा उत्तरदायी नहीं है । उक्त कार से कोई दुर्घटना ही नहीं घटी इसलिये अनावेदकगण उनसे कोई भी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं है तथा आवेदनपत्र में संपूर्ण विवरण असत्य लिखा हुआ है और इंडिगो कार के इंजन चेसिस नंबर 10668 / 06974 के आधार पर पॉलिसी की शर्तों के तहत बीमा किया गया है । पॉलिसी की शर्तों एवं मोटरयान अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनावेदक क.—1 के पास वैध और प्रभावी रजिस्ट्रेशन दुर्घटना दिनांक को नहीं था । इसलिये वह उत्तरदायी नहीं है और पंजीकरण न होने से बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिये उनसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलायी जा सकती है और आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किया जावे । विशेष आपित्त लेते हुए यह भी लेख किया है कि मोटर साइकिल पर तीन लोग बैठै थे, जो कि पात्रता से अधिक है तथा मोटर साइकिल चलाने का कोई वैध और प्रभावी लाइसेंस भी मोटर साइकिल चालक के पास नहीं था और मोटर साइकिल के स्वामी को पक्षकार बनाये वगैर दावा चलने योग्य नहीं है । आवेदकगण ने अपना पैन नंबर भी प्रस्तुत नहीं किया है और अनावेदक क.-1 से दरभि संधि कर ली है।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न लिखित वादप्रश्नों की रचना की गयी है, जिनके समक्ष मेरे द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या, दिनांक 25/5/2012 को अनावेदक क.—1 के द्वारा इंडिगो कार क्रमांक—एम.पी.—30 सी—1363 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर आहत दशरथ सिंह, भूरीबाई एवं नाबालिग अमन पुत्र दशरथ को चोटें पहुंचायी ?	
2.	क्या, उपरोक्त दुर्घटना कारित करने में आवेदक कमांक—01 मोटर साइकिल चालक की स्वयं की तेजी व लापरवाही रही ? यदि हां तो प्रभाव ?	
3.	क्या, उक्त दुर्घटना में आयी चोटों से अनावेदक क. —3 अमर को गंभीर उपहति कारित होकर स्थाई अशक्तता कारित हुई ?	
4.	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन इंडिगो का बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के व रजिस्ट्रेशन के बिना चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	
5.	क्या, प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का	

	दोष है ?	
6.	क्या, आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो कौन कौन एवं कितनी किससे ?	
7.	सहायता एवं वादव्यय ?	

## -::- निष्कर्ष के आधार -::-

नोट:— उपरोक्त दोनों प्रकरण आदेश पत्रिका दिनांक 16/4/13 द्वारा समेकित किये गये हैं इसलिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07— क्लैम प्रकरण क्रमांक 32/14 में आवेदिका बेबी शर्मा अ०सा0—1,रामकुमार शर्मा अ०सा0—2, सुधीर मुदगल अ०सा0—3 की अभिसाक्ष्य कराई गई है तथा प्र०पी0—1 प्र०पी0—1 लगायत प्र०पी0—52 के दस्तावेज पेश किये गये हैं, जब कि अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी रिवप्रकाश माथुर साक्षी क0—1 तथा गोविन्दिसंह चौहान अना०सा0—2 के कथन कराये गये हैं तथा प्र०डी0—1 लगायत 2 के दस्तावेज पेश किये गये हैं । तथा क्लैम प्र०क० 40/14 में रामकुमार अ०सा0—1, बेबी शर्मा अ०सा0—2 एवं सुधीर मुदगल अ०सा0—3 की अभिसाक्ष्य कराई गई है तथा प्र०पी0—1 लगायत प्र०पी0—52 के दस्तावेज पेश किये गये हैं तथा अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी की और से रिवप्रकाश माथुर अना०सा0—1 एवं गोविन्दिसंह चौहान अना०सा0—2 की अभिसाक्ष्य कराई गई है तथ प्र०डी0—1 लगायत प्र०डी0—2 के दस्तावेज पेश किये गये हैं ।

—::— **वाद प्रश्न क0—1** दोनों क्लैम प्रकरणों का विचारणीय प्रश्न क0—1 का विशलेषण व निराकरण—::—

08— इस संबंध में अभिलेख पर आवेदकगण की और से जो साक्ष्य दी गई है, उसमें से आवेदकगण के ही दोनों प्रकरणों में एक दूसरे का समर्थन करते हुये कथन दिये गये हैं । सुधीर मुदगल का मुख्य परीक्षण का कथन पेश किया गया था, किन्तु प्रतिपरीक्षा के लिये उसे प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिये उसे मूल्यांकन में नहीं लिया जा रहा है । दोनों आवेदकगण ने अपने अभिसाक्ष्य में एक जैसे कथन करते हुये दिनांक

17—7—14 को दिये गये मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में यह बताया है कि वे बस कमांक एम0पी0-07-पी0-0403 से बैठकर भिण्ड से मालनपुर आ रहे थे तब ग्वालियर तरफ से जैतपुरा गांव के पास रोड पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-30 एच 0253 का चालक सिरनामसिंह उसे बडी तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया था, और बस में सामने से टक्कर मार दी थी जिससे बस का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा बस चालक के अलावा उन्हें व अन्य सवारियों को चोंटे आई थी, उनके हाथ पैर छाती में चोटें आई थी, और बेबी शर्मा के बांये पैर में और रामकुमार के दांये पैर में अस्थिमंग भी हुआ था और गंभीर चोटें भी आई थी, उनका भाई कमलिकशोर उन्हें इलाज के लिये ग्वालियर ले गया था । घटना की रिपोर्ट बस के चालक रामेश्वरसिंह ने दर्ज कराई थी । पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर डम्पर के चालक सरनामसिंह अनावेदक क0-1 को गिरफ्तार किया था, और उससे डम्पर की जप्ती की थी, जिसका स्वामी अनावेदक क0-2 है दोनों साक्षियों ने डम्पर का नंबर भाई कमलकिशोर के द्वारा बताया जाना कहा है। प्रकरण में आवेदकगण की और से प्र0पी0-1 लगायत 09-प्र0पी0-8 के रूप में थाना गोहद चौराहा पर पंजीबद्ध हुये अपराध क्रमांक 193 / 09 धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० के अभियोगपत्र, एफ०आई०आर०, नक्शामौका, अनावेदक क0-1 डम्पर के चालक के गिरफ्तारी उससे डम्पर और ड्राईविंग लाईसेंस की जप्ती, डम्पर की मैकेनिकल जांच, एम०एल०सी०व एक्सरे रिपोर्ट की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पेश की गई है । प्र0पी0-9 जे०ए०एच० ग्वालियर के डिस्चार्ज टिकिट पेश किये हैं । बेबी शर्मा का दुबारा हुये उपचार का डिस्चार्ज टिकिट प्र0पी0-10 भी प्रकरण नंबर 32 / 14 में पेश किया गया है ।

10— अनावेदक क0—3 की और से लिखित व मौखिक तर्कों में यह आपितत ली गई हैिक कमलिकशोर का आवेदकगण ने कथन नहीं कराया है, जिसके द्वारा डम्पर का नंबर बताया गयाना ही रिपोर्टकर्ता का कथन कराया है और गाडी के रिजस्ट्रेशन कमांक में अंतर है, इसलिये क्लैम याचिका निरस्त की जाये, जिसका आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में खण्डन करते हुये कहा है कि आवेदकगण ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति है, और

उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पहले वाहन क्रमांक की सही जानकारी लेते और फिर रिपोर्ट करते जब कि रिपोर्ट तत्काल हुई है, इसलिये आपत्ति वेबुनियाद है । अनावेदक क0-3 बीमाकंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने वाहन के रजिस्ट्रेशन क्रमांक की भिन्नता के संदर्भ में न्याय द्ष्टांत कुन्धेरीराम उर्फ कुन्धेरी वि० कमलकिशार एवं अन्य **2004 भाग-2 डी०एन०पी० पेज 160 (एम०पी०)** पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्लैम याचिका खारिजी की पुष्टि इस आधार पर की थी कि एफ0आई0आर0 वाहन क्रमांक एम0के0एच0 7877 के विरूद्ध दर्ज कराई गई थी, और संशोधन द्वारा वाहन क्रमांक एम0के०एच० 7879 किया गया था, और वाहन के रंग में भी भिन्नता जप्तीपत्र के आधार पर पाई गई थी । इस मामलें में ऐसी स्थिति नहीं है केवल वाहन की सीरिज में एच के आगे ए अंकित हो गया है जिसे विलोपित किया गया है, इसलिये न्याय दृष्टांत को प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है तथा दुध िटना घटित होने का अभिलेख पर खण्डन नहीं है, इसलिये कमलकिशोर नामक व्यक्ति या एफ0आई0आर0 कर्ता बस चालक रामेश्वर का कथन ना होने से भी कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

11— अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में डम्पर नंबर एम0पी0—30 एच0ए0—0253 अंकित किया गया है उसी की मैकेनिकल जांच भी जप्ती उपरांत पुलिस द्वारा कराई गई । अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी की और से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें प्र0डी0—1 बीमा पॉलसी, प्र0डी0—2 फिटनेस प्रमाणपत्र से संबंधित विवरणी, आर0टी0ओ0 भिण्ड की पेश करते हुये पुलिस द्वारा जप्त वाहन का फिटनेस ना होने की आपत्ति ली है, तथा बीमित वाहन का रिजस्ट्रेशन कमांक एम0पी0—30 एच—0253 बताया है । विचारण के दौरान दुर्घटनाकारी डम्पर के रिजस्ट्रेशन नंबर का अभिवचनों में आदेश पत्रिका दिनांक 20—2—14 अनुसार संशोधन करके दुरूस्त किया गया है, जिस आदेश को कोई चुनौती अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा नहीं दी गई है, और वाहन चालक व स्वामी अनावेदक क0—1 व 2 प्रकरण में एक पक्षीय होकर अनुपस्थित है, उनकी और से कोई खण्डन नहीं है जिस वाहन से दुर्घटना बताई गई है उसका इंजन नंबर और चैसिस

नंबर में कोई अंतर नहीं है, और प्र0डी0—1 और प्र0डी0—2 में इंजन नंबर और चैसिस नंबर समान है, ऐसे में रिपोर्ट करते समय दुर्घटनाकारी डम्पर का कमांक में सीरिज में एक शब्द अतिरिक्त लिखा जाना आवेदकगण के उत्तरदायित्व में नहीं आता है और पुलिस त्रुटि के लिये आवेदकगण को उत्तरदाई नहीं उहराया जा सकता है, तथा बीमा कंपनी की और से दिये गये साक्ष्य में दुर्घटना का विरोध नहीं किया गया है । ऐसे में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 12 /11 / 09 को शाम करीब 6—40 बजे मिण्ड ग्वालियर लोकमार्ग पर ग्राम जैतपुरा के पास थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत डम्पर कमांक एम०पी0—30एच—0253 को अनावेदक क0—1 द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुये दुर्घटना कारित की, जिसके फलस्वरूप बेबी शर्मा एवं उसके भाई रामकुमार शर्मा को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई । फलतः वाद प्रश्न क0—1 आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत कर प्रमाणित ठहराया जाता है । —::— विचारणीय प्रश्न क0—2 दोनों क्लैम प्रकरणों का विचारणीय प्रश्न क0—2—:— का विशलेषण व निराकरण

जहां तक आवेदकगण को दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप स्थाई निशक्तता का प्रश्न है । आवेदकगण ने अपने साक्ष्य में अस्थिभंजन होने के संबंध में तो साक्ष्य दी है तथा जो दस्तावेजी प्रमाणपत्र पेश किये हैं उसमें एम0एल0सी0 व एक्सरे रिपोर्ट मुताबिक बेबी शर्मा को बांई टांग में टीविया नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया और रामकुमार को दाहिनी हाथ की हयूमरस नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया, किन्तु ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है आहतगण/आवेदकगण स्थाई रूप से निशक्त हुये हो इस संबंध में अनावेदक क0-3 की और से लिखित तर्कों में भी यह आपत्ति ली गई है कि स्थाई निशक्तता के संबंध में चिकित्सक का कोई कथन नहीं कराया गया ना ही विकलांगता का कोई प्रमाणपत्र है, ऐसे में अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है उससे दोनों आवेदकगण को अस्थिभंजन होकर घोर उपहति तो दुर्घटना में आना स्थापित होता है, किन्तु स्थाई निशक्तता दुध टिना में आई चोटों के फलस्वरूप आना प्रमाणित नहीं है । फलतः

विचारणीय प्रश्न क0—2 आवेदकगण के विरूद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है ।

—::— विचारणीय प्रश्न क0—3 दोनों क्लैम प्रकरणों का विचारणीय प्रश्न क0—3 का विशलेषण व निराकरण

उक्त बिन्दु के प्रमाणभार अनावेदकगण पर है । अनावेदक क0-1 व 2 एक पक्षीय है उनकी और से कोई साक्ष्य नहीं है । अनावेदक क0-3 की और से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें बीमा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी रविप्रकाश माथुर अनावेदक साक्षी क0-1 के रूप में पेश किया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एच 0253 का उनकी कंपनी में बीमा दिनांक 1/7/09 से 30/6/10 के लिये जितेन्द्र कुमार के नाम से किया गया था । बीमा पॉलसी की शर्तो के अनुसार वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस, रूट परिमट और फिटनेस होना आवश्यक है, किन्तु घटना दिनांक को उक्त वाहन वैध एवं प्रभावी फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था जो प्रमाणपत्र पेश किया गया है वह आर0टी0ओ0 भिण्ड के कार्यालय से जारी नहीं है, और फर्जी है इसलिये बीमा कंपनी उत्तरदाई नहीं है, उन्होंने प्र0डी0-2 के रूप में फिटनेस पर्टीकूलर प्रमाणीकरण पेश करते हुये उक्त आशय की साक्ष्य दी है, और पैरा–4 में यह स्वीकार किया है कि प्र0डी0–1 की बीमापॉलसी करने के पूर्व ड्राईविंग लाईसेंस, रूट परिमट और फिटनेस प्रमाणपत्र देखा जाता है उसका सत्यापन नहीं कराया जाता तथा प्र०डी०–2 का फिटनेस प्रमाणपत्र देखा गया था उसके वाद बीमा किया गया था सत्यापित कराये जाने पर वह फर्जी पाया गया, अर्थात प्र०डी०-2 के फिटनेस प्रमाणपत्र को देखने के वाद ही प्र0डी0-1 का बीमा किया जाना उक्त साक्षी स्वीकार करता है, और जो फिटनेस प्रमाणपत्र जारी बताया गया है उसके फर्जी या कूटरचित होने के संबंध में ना तो आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड ने कोई कार्यवाही की है, और ना ही अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी ने इस प्रकरण में साक्ष्य देने के अलावा प्रथक से कोई कार्यवाही की है, तथा अनावेदक साक्षी क0-2 की साक्ष्य निश्चतता लिये हुये भी नहीं है, इसलिये उसे आधार नहीं बनाया जा सकता।

14-आर0टी0ओ0 भिण्ड से आहुत कराये गये साक्षी गोविन्दसिंह चौहान अनावेदक साक्षी क0-2 ने उक्त वाहन के संबंध में यह कहा है कि, दिनांक 12/11/09 को कोई फिटनेस प्रमाणपत्र उक्त वाहन का नहीं था उसने प्र0डी0-2 के फिटनेस पर्टीकूलर पर लगाई गई टीप उक्त उपयोगिता प्रमाणपत्र वाहन कमांक एम0पी0-30 एच-0253 कार्यालय अभिलेख अनुसार जारी नहीं है बावत अना०सा0-2 का यह कहना रहा है कि, उक्त टीप उसके द्वारा नहीं लगाई गई है, यदि दिनांक 12/11/09 के पूर्व फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया है तो उसे जानकारी नहीं है । इस तरह से प्र0डी0-3 पर उक्त लगाई गई टीप किसके द्वारा लगाई गई इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में फिटनेस प्रमाणपत्र के संबंध में अनावेदक क0-3 द्वारा ली गई आपत्ति को विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्र0डी0-2 का यदि अवलोकन करे तो उसमें प्र0डी0-1 की बीमा पॉलसी में जिसस वाहन का बीमा किया गया उसका इंजन और चैसिस नंबर सत्यापित होता है तथा फिटनेस प्रमाणपत्र दिनांक 17/9/10 को समाप्त होने का भी उल्लेख है और उसमें दिनांक 18/9/09 को नवीनीकरण किये जाने की दिनांक लिखी हुई है । फिटनेस की अवधि 18/9/09 से 17/9/10 तक अंकित है, और दुर्घटना दिनांक 12/11/09 की होना मानी गई है ।

15— ऐसे में टीप के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दुर्घटनाकारी वाहन जिसका दुर्घटना दिनांक को चालक अनावेदक क0—1 और वाहन स्वामी अनावेदक क0—2 था वह वगैर फिटनेस प्रमाणपत्र के चलाया जा रहा था, क्योंकि जो फिटनेस प्रमाणपत्र बताया गया है वह भी आर0टी0ओर0 कार्यालय भिण्ड के कार्यालय का ही बताया गया है, और जिस अभिलेख के आधार पर अनावेदक क0—3 की इस संबंध में आपित आई है उसके बावत अना0सा0—2 ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि फिटनेस प्रमाणपत्र दिनांक 12/11/09 अर्थात दुर्घटना दिनांक के पहले जारी किया गया हो तो उसे जानकारी नहीं हैं । ऐसी स्थिति में अनावदेक क0—3 की आपित्त में विधिक बल नहीं पाया जाता है, तथा अनावेदक क0—3 की और से इस संबंध में प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत चंदेश

कुमार अग्रवाल वि० योगेश कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य 2005 भाग-2 डी०एम०पी० 193 (इलाहावाद उच्च न्यायाालय) एवं माननीय छततीसगढ उच्च न्यायायल के प्रकरण क्रमांक 103/11 मिसलेनियस अपील (सी) आदेश दिनांक 21/2/12 का कोई लाभ अनावेदक क्0-3 को प्राप्त नहीं हो सकता, जिसमेंस फिटनेस और परिमट के बिना लोकमार्ग पर वाहन के संचालन की दशा में दुर्घटना घटित होने पर बीमा कंपनी को उत्तरदाई नहीं ठहराने का मार्गदर्शन दिया है । दुर्घटनाकारी वाहन के अन्य दस्तावेज के संबंध में कोई आपित्त नहीं आई है

दुर्घटनाकारी वाहन के अन्य दस्तावेज के संबंध में कोई आपित्त नहीं आई है ऐसे में बीमा पॉलसी की शर्तो का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है । फलतः वाद प्रश्न क0-3 का निराकरण करते हुये उसे अप्रमाणित ठहराया जाता है।

—::—वाद प्रश्न क0—4 एवं 5 दोनों क्लेम प्रकरणों के वाद प्रश्न क0—4 एवं 5 का निराकरण एवं विशलेषण

उक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी होने से एक साथ 16-निराकरण किया जा रहा है । क्लैम याचिका क्रमांक 32 / 14 के माध्यम से श्रीमती बेबी शर्मा ने स्वंय को पशुपालन करके 80/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से धनोपार्जन करना बताते हुये वार्षिक आय 28800 / - रूपये बताई है, जो वह दुर्घटना के वाद नहीं कर पा रही है तथा उसने दुर्घटना से आई निशक्तः और क्षति के कारण इलाज व ऑपरेशन में 13614/— रूपये आवेदन दिनांक तक खर्च हो जाना तथा आगे भी निरन्तर इलाज जारी रहना बताया है, और उपचार के दौरान अटेन्डर रखना और उस पर 7500 / - रूपये खर्च करना तथा पूर्ण विश्राम 6 माह तक करने के आधार पर 14000 / - रूपये की क्षति विशेष आहर पर 15,000 / - रूपये की क्षति और स्थाई अपंगता के लिये 5 लाख रूपये की क्षति बताते हुये कुल 5,80, 114 / — रूपये और उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की है, जिसके संबंध में उपर विशलेषण मुताबिक स्थाई निशक्तता प्रमाणित नहीं हुई है तथा इलाज पर हुये खर्च के संबंध में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं जिसमें प्र0पी0-9 के डिस्चार्ज टिकिट मुताबिक बेबी शर्मा दुर्घटना दिनांक 12/11/09 से 17/11/09 तक भर्ती रही है दूसरी बार में दिनांक

7/2/10 से 23/3/10 तक भर्ती रहना प्र0पी0—10 से स्पष्ट होता है जिससे यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना के वाद से उसका करीब 5 माह इलाज चला है ।

इलाज में हुये खर्च के जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें प्र0पी0-11, 12, 13, प्र0पी0-17, 37, प्र0पी0-38, 40, 48 और प्र0पी0-50 के बिल पेश किये गये हैं, जिनका योग 4754 / – रूपये बनता है शेष जो पर्चिया एस्अीमेट पेश हुये हैं उनमें ना तो बेबी शर्मा का नाम है और ना ही वे बिल के रूप में है इसलिये उन दस्तावेजों में उक्त राशि आवेदिका बेबी शर्मा पाने की पात्र नहीं है । अटेन्डर के रूप में किसे रखा और 7500 / – किस तरह से खर्च किये इसका कोई प्रमाण आवश्यक पेश नहीं है किन्तु उसका जो उपचार चला है उस दौरान उसे अपने गृह निवास जो कि ग्राम तिलौरी थाना मालनपुर के अंतर्गत आता है वहां से ग्वालियर जाकर इलाज कराना और भर्ती रहना पडा है । भर्ती रहने के दौरान तथा उपचार के लिये साथ आने जाने के समय एक सहायक की आवश्यकता रही होगी यह उपधारित किया जा सकता है, तथा उपचार के दौरान दवाईयों के अलावा विशेष आहार भी लेना पडा होगा, इसका भी न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है इसलिये आवागमन, विशेष आहार और अटेन्डर के मद में उसे 10,000 / — रूपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित होगा तथा अस्थिभंजन से हुई शारीरिक एवं मानसिक पीडा के लिये 15,000/-अस्थिभंजन को देखते हुये अनावेदकगण से दिलाई जाना उचित व न्याय संगत है । इस प्रकार आवेदिका बेबी शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः व प्रथकतः कुल 29754 / - रूपये पाने की अधिकारी है ।

18— जहां तक आवेदक रामकुमार का प्रश्न है उसने मजदूरी से धनोपार्जन करना बताते हुये वार्षिक आय 48,000/— रूपये बताते हुये 14513/— रूपये व्यय करना और आगे भी इलाजरत रहना बताया है, तथा उसने भी उपचार के दौरान बेडरेस्ट 6 माह तक करना और उससे 27150/— रूपये की हानि अटेन्डर के लिये 3150/— रूपये खर्च करना विशेष आहार पर 15,000/— रूपये खर्च करना तथा दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आजीवन अशक्तता के लिये 5 लाख रूपये इलाज के लिये आने जाने में 2187/— रूपये शारीरिक मानसिक पीडा के लिये 28000/— रूपये कुल 6, 15, 000/— रूपये क्षतिपूर्ति व उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दुर्घटना दिनांक से चाहा गया है उसी अनुरूप मौखिक साक्ष्य भी दी गई है जिसके बारे में अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी की और से विरोध किया गया है ।

अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य उपचार में खर्च पर की गई राशि के संबंध में पेश किया है उनमें प्र0पी0-9 डिस्चार्ज टिकिट मुताबिक दिनांक 12/11/09 से 3/12/09 तक वह भर्ती रहा है तथा प्र0पी0-7 की एक्सरे रिपोर्ट मुताबिक उसके दांये हाथ की हयमूरस नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया है । प्र0पी0-10 और प्र0पी0-11 बाह्य रोग विभाग के 5-5 रूपये के पर्चे हैं तथा इसके अलावा प्र0पी0-12 लगायत प्र0पी0-16 प्र0पी0-19 लगायत प्र0पी0-21, प्र0पी0-24, प्र0पी0-26, प्र0पी0-31 एवं प्र0पी0-34 की व्यय की गई राशि के बिल है, इनके अलावा प्र0पी0-17,प्र0पी0-22, प्र0पी0-23, प्र0पी0-25, प्र0पी0-27, प्र0पी0-30, प्र0पी0-32, प्र0पी0-33, प्र0पी0-35 से प्र0पी0-50 के जो दस्तावेज है वे कच्ची पर्ची और एस्टीमेट है जिनमें आहत के नाम तक का उल्लेख नहीं है इसलिये उनकी राशि खर्चो में नहीं जोडी जा सकती और उक्त राशि के एस्टीमेट और पर्चे ग्राह्य किये जाने योग्य बिलों की राशि 6487/ – रूपये बनती है, इसके अलावा उसके द्वारा अटेन्डर के रूप में जो राशि खर्च करना बताई है उसका कोई प्रमाण नहीं है किन्तु उसके उपचार अवधि को देखते हुये आवागमन, विशेष आहार तथा अटेन्डर के मद में 10,000 / - रूपये तथा चोटों के कारण हुई शारीरिक व मानसिक पीडा व उपचार अवधि में धनोपार्जन की छति के मद में 10,000/- रूपये इस प्रकार कुल 26487/-रूपये आवेदक रामकुमार शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथकतः पाने का अधिकारी है।

20— अनावेदक कृ0—3 की और से अंतिम तर्को में यह विन्दु उठाया गया है कि यदि न्यायालय दुर्घटना मानता है तो दोनों वाहनों के मध्य दुर्घटना घटित होने से दोनों वाहन समान रूप से उत्तरदाई मानना उचित होगा । यह तर्क इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकरण में अंशदाई उपेक्षा का बिन्दु अन्तरवलित नहीं है, तथा प्र०पी०-1 लगायत प्र0पी0-8 के जो पंजीबद्ध अपराध से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये हैं उनके अवलोकन से भी जिस बस कमांक एम0पी0-07 पी-0403 में आवेदकगण बैठकर जा रहे थे उसकी कोई उपेक्षा नहीं बताई गई है, और बीमा कंपनी की और से फिटनेस प्रमाणपत्र के अलावा अंशदाई उपेक्षा का आधार अभिवचनों व साक्ष्य में नहीं लिया गया है, इसलिये प्रकरण में पे एण्ड रिकवर का फार्मूला भी लागू किये जाने योग्य नहीं है, तथा अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जो न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेन्स कंठलिठ विरूद्ध पर्वथनैनी एवं अन्य (2009) वोल्यम एस0सी0सी0785 एवं रामजीलाल वि० परमचंद्र गुप्ता 2011(1) ए०सी०सी०डी० 479 (एम०पी०) के न्याय दृष्टांत लागू किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वाहन चालक की चालक अनुज्ञप्ति जाली या कूटरचित होने का बिन्दू प्रकरण में नहीं है, ना ही बीमा पॉलसी की शर्तो का उल्लंघन माना गया है, ऐसे में अनावेदकगण से संयुक्तः व प्रथकतः क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदाई होना अभिनिर्धारित किया जाता है । तदनुसार उक्त वाद प्रश्नों का निराकरण किया जाता है ।

- 21— इस प्रकार से उपरोक्त विशलेषण के आधार पर प्रस्तुत क्लैम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित होने से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में अनावेदकगण के विरूद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है ।
  - (अ)— आवेदिका श्रीमती बेबी शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथकतः 29754 / रूपये एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने की अधिकारी है तथा आवेदक रामकुमार शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथकतः 26487 / रूपये एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने का अधिकारी है जो अदायगी ना होने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत वसूलने के अधिकारी होगें ।
  - (ब) अनावेदकगण आवेदकगण का प्रकरण व्यय भी संयुक्तः व प्रथकतः वहन करेगें, जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो जोडा जाये ।
  - (स) अधिनिर्णय की प्रति पक्षकारों को निशुल्क प्रदान की जाये ।

22. तद्नुसार अवार्ड पारित किया जाता है । व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांकः 28 अक्टूबर 2014

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य) सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड